उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 99/2021/1978/ छप्पन-2021-05/2013
लखनऊ, दिनांक: 22 नवम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2116/छप्पन-2012-35/2010, दिनांक 03 जनवरी, 2013 द्वारा श्री मुकेश सिंह मेहता को प्रवक्ता (एवियानिक्स) के पद पर नियत मासिक पारिश्रमिक रूपए 31,000/- (रूपए इकत्तीस हजार मात्र) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था। श्री मुकेश सिंह मेहता, प्रवक्ता (एवियानिक्स) की सेवाओं की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनकी संविदा सेवा अवधि वर्षानुवर्ष बढाई जाती रही। शासनादेश संख्या: 100/2020/2240/छप्पन-2020-05/2013 दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 के द्वारा उनकी संविदा सेवा अवधि दिनांक 07 जनवरी, 2021 से आगामी 01 वर्ष (दिनांक 06 जनवरी, 2022 तक) के लिए बढ़ायी गई थी। निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा श्री मुकेश सिंह मेहता, प्रवक्ता (एवियानिक्स) की संविदा अवधि दिनांक 07 जनवरी, 2022 से आगामी 01 वर्ष के लिए बढाए जाने के लिए संस्तुति की गई है।

2- अत: निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 लखनऊ के प्रस्ताव दिनांक 06 अक्टूबर, 2021 पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लखनऊ उ0प्र0 में प्रवक्ता (एवियानिक्स) के पद पर कार्यरत श्री मुकेश सिंह मेहता की संविदा अवधि दिनांक 07 जनवरी, 2022 से आगामी 01 वर्ष (अर्थात् दिनांक 06 जनवरी, 2023 तक) के लिए वर्तमान में अनुमन्य नियत मासिक पारिश्रमिक रू0 70,579/- (रूपए सत्तर हजार पॉच सौ उन्नयासी मात्र) एवं यथा समय अनुमन्य वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि के आधार पर बढ़ाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- श्री मुकेश सिंह मेहता की संविदा सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत जारी रहेंगी।

4- श्री मुकेश सिंह मेहता से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करके उसकी 01-01 प्रति उन्हें एवं शासन को अभिलेखार्थ उपलब्ध कराई जाएगी।

डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

श्री मुकेश सिंह मेहता,
प्रवक्ता (एवियानिक्स),
एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ ।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ0सं0-99/2021/1978(1)/छप्पन-2021-05/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री मुकेश सिंह मेहता, प्रवक्ता (एवियानिक्स) से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करके उसकी 01 प्रति अभिलेखार्थ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
2. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
6. गार्ड फाइल

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।